

भवन निर्माण विभाग ५.५.(५)

बिहार, पटना

:: कार्यालय आदेश ::

दिनांक- ५.1.15

शुभ आ (मै०)
२०/१/१५

अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेन्टर, पटना के निर्माण कार्य की निविदा इस योजना के परामर्शी डी०डी०एफ० कन्सल्टेंट प्रा० लि०, नई दिल्ली 501, बी-9,आईवटी०एल० ट्वीन टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110034 द्वारा तैयार किये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डी०पी०आर०) के आधार पर की गई। निविदा निष्पादन के पश्चात संवेदक को अधिक दर स्वीकृत होने एवं अन्य आवश्यक मदों को सम्मिलित करने के बाद परामर्शी डी०डी०एफ० कन्सल्टेंट द्वारा रूपये 490.00 करोड़ के लिए समर्पित पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर कुल रूपये 490.00करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति(प्रथम पुनरीक्षण) प्राप्त की गई थी। उसके बाद कार्य के दौरान पाया गया कि परामर्शी द्वारा जारी GOOD FOR CONSTRUCTION DRAWING के अनुसार आकलित विभिन्न मदों की मात्रा एवं प्राक्कलन में सुसंगत मदों की मात्रा में काफी अन्तर है, जिसके कारण कार्य करने एवं भुगतान में कठिनाई हो रही है। परियोजना अभियंता द्वारा परामर्शी डी०डी०एफ० कन्सल्टेंट के निदेशक श्री सौरभ चन्द्रा को दिनांक- 09.07.2014 को e-mail के माध्यम से इस तथ्य को संज्ञान में लाया गया तथा आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। परामर्शी डी०डी०एफ० कन्सल्टेंट द्वारा दिनांक- 11.07.14 के माध्यम से सूचित किया गया कि उनके द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। लेकिन अनेकों बार दूरभाष/e-mail के माध्यम से आग्रह करने के बाद भी परामर्शी डी०डी०एफ० कन्सल्टेंट द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन समर्पित नहीं करने एवं उनके लापरवाहपूर्ण रवैये को देखते हुये बाध्य होकर विभागीय पत्रांक- 10452(भ) दिनांक- 30.09.14 के माध्यम से इन्हें डिबार करने की चेतावनी दी गई। इसके चार माह बाद दिनांक- 7.11.14 को पुनरीक्षित प्राक्कलन डी०डी०एफ० द्वारा समर्पित किया गया। राज्य की अतिमहत्वपूर्ण योजना के कार्यान्वयन में परामर्शी डी०डी०एफ० कन्सल्टेंट की तरफ से यह घोर लापरवाही दर्शाती है।


परामर्शी डी०डी०एफ० कन्सल्टेंट द्वारा दिनांक- 07.11.14 को कार्य के विभिन्न मदों की मात्रा में वृद्धि दर्शाते हुये रूपये 587.68 करोड़ का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत्यार्थ समर्पित किया गया है जो प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (रु० 490.00 करोड़) से रूपये 97.68 करोड़ यानी 19.93प्रतिशत अधिक है। परामर्शी डी०डी०एफ० कन्सल्टेंट से विभागीय पत्रांक- 732(पी) दिनांक- 21.11.14 एवं पत्रांक- 12526(भ) दिनांक- 11.12.14 के माध्यम से परियोजना लागत में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के संबंध में स्पष्टीकरण की माँग की गई। परामर्शी डी०डी०एफ० कन्सल्टेंट द्वारा अपने पत्रांक-L-DDE/INCCP/14/3402 दिनांक- 28.11.14 के माध्यम से समर्पित स्पष्टीकरण प्रतिवेदन में परियोजना लागत में हुई वृद्धि के अनेक कारणों का उल्लेख किया गया है।

परामर्शी डी०डी०एफ० कन्सल्टेंट द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण बिल्कुल ही असंतोजनक है तथा मान्य नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने एवं कार्य मद की मात्रा का आकलन करने में हुई भारी गलती ही परियोजना लागत में हुई अप्रत्याशित वृद्धि का मुख्य कारण है।

परियोजना लागत में हुई वृद्धि के कारणों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि स्ट्रक्चरल स्टील में रु० 27.90 करोड़, पाईल कार्य में रु० 8.56 करोड़, रूफ शीटिंग में रु० 3.12 करोड़ तथा आर०सी०सी० कार्य में 10.56 करोड़ की वृद्धि के साथ ही कई और कार्य मदों की मात्रा एवं राशि में वृद्धि हुई है। स्ट्रक्चरल स्टील की मात्रा में वृद्धि के कारण के संबंध में परामर्शी द्वारा बताया गया कि सर्विस ब्लॉक, फुट ओवर ब्रिज एवं अंडर पास इत्यादि नये प्रावधान के चलते स्ट्रक्चरल स्टील मात्रा में वृद्धि हुई है। परन्तु दिये गये प्रतिवेदन एवं समर्पित पुनरीक्षित प्राक्कलन से यह स्पष्ट होता है कि इतनी अधिक मात्रा (लगभग 5000 मे०टन)में बढ़ोत्तरी केवल इन कारणों से नहीं हुई है। इसी प्रकार पाईल कार्य के आकलन में भी परामर्शी द्वारा गलती की गई है। पाईल लोड टेस्ट के प्रतिवेदन

254
16/11/15

22907/2015/WRD
दिनांक 21.1.15
यु० अपि० यो० एवं नॉनटे०
सचिव
जल संसाधन विभाग, पटना
19/01/15



शुभ आ (मै०)
२०/१/१५

के अनुसार पाईल कार्य मद की मात्रा में कमी होनी चाहिये थी, लेकिन परामर्शी द्वारा समर्पित पुनरीक्षित प्राक्कलन में इस मद में 8.56 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शायी गई है। रूफ शीटिंग की मात्रा में हुई वृद्धि के संबंध में परामर्शी द्वारा स्वीकार भी किया गया है कि उनके द्वारा गणना में चूक हुई है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि परामर्शी डी0डी0एफ0 कन्सल्टेंट द्वारा उक्त परियोजना के डी0पी0आर0 तैयार करने एवं कार्य मदों की मात्रा का आकलन करने में भारी लापरवाही बरती गई तथा उनकी इस भारी गलती के कारण उक्त परियोजना की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता पड़ रही है। इसके चलते कार्य की प्रगति में प्रतिकूल असर पड़ रहा है तथा साथ ही विभाग एवं सरकार को अनावश्यक फजीहत का सामना करना पड़ रहा है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि-

1. परामर्शी डी0डी0एफ0 कन्सल्टेंट द्वारा राज्य की इस अतिमहत्वपूर्ण परियोजना को विल्कुल ही हल्के तौर पर लेते हुये इसके साथ भारी लापरवाही बरती गई है।

2. परामर्शी डी0डी0एफ0 कन्सल्टेंट द्वारा उक्त परियोजना के डी0पी0आर0 तैयार करने में भारी गलती की गई, जिसके चलते परियोजना की प्रगति पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है तथा विभाग एवं सरकार को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है।

3. परामर्शी डी0डी0एफ0 कन्सल्टेंट द्वारा उक्त परियोजना के परामर्शी सेवा देने में भारी कोताही बरती जा रही है, जिसके संबंध में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक मु0वा0भ0-189-9/2015-513 दिनांक- 22.11.2013 के माध्यम से स्पष्टीकरण की माँग करनी पड़ी।

इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक- 23.12.2014 को विभागीय तकनीकी पदाधिकारियों की बैठक आहूत की गई, जिसमें परामर्शी डी0डी0एफ0 कन्सल्टेंट को डिबार करने की अनुशंसा की गई।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में परामर्शी डी0डी0एफ0 कन्सल्टेंट, नई दिल्ली को उनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेन्टर के निर्माण में परामर्शी सेवा में घोर लापरवाही बरतने के कारण अगले आदेश तक किसी भी निविदा या अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) में भाग लेने से वंचित किया जाता है।

(राजेन्द्र प्रसाद चौधरी)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
ज्ञापांक-भवन/अभि0प्र0(नि0)-02-विविध-27/2014- पटना, दिनांक- 07 जनवरी, 2015

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी कार्य विभागों के अभियंता प्रमुख/सभी निगमों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद चौधरी)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
ज्ञापांक-भवन/अभि0प्र0(नि0)-02-विविध-27/2014- पटना, दिनांक- 07 जनवरी, 2015

प्रतिलिपि:- डी0डी0एफ0 कन्सल्टेंट प्रा0 लि0, नई दिल्ली 501, बी-9,आई0टी0एल0 ट्वीन टावर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110034 एवं आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय साईट पर डालने एवं ई0-मेल करने हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद चौधरी)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

(निबंधित)